शंकर बनाम मोहनलाल वगैरह (2014/00078)

आदेश दिनांक 15.02.2024.

पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 05 को दिनांक 14.02.2024 को अपील पर सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने दौराने बहस प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि अपीलांट प्रस्तुत राजस्व अभिलेख के अनुसार निहित हिस्से की आराजीयात पर काबिज काश्त है जिसे अप्रार्थी द्वारा स्वयं के द्वारा खातेदार एवं काबिज काश्त होना वर्णित किया है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण आराजीयात पर जारी किये गये स्थगन बाबत पारित आक्षेपित आदेश की आड़ में महरूम किया जाना कतई न्यायोचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में अवैधानिक रूप से अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की है जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी/अपीलांट के विरूद्ध किसी भी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा रेकार्डेड खातेदार के विरूद्ध पारित किया जाना न्यायोचित नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट वादग्रस्त आराजीयात पर सहखातेदार की हैसियत से काबिज काश्त है जिन्हे उनके खातेदारी अधिकारों से महरूम करने की नियत से प्रस्तुत वाद में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने में त्रुटि कारित की गई है जो कि निरस्तनीय है। प्रस्तुत राजस्व वाद में सम्पूर्ण आराजीयात बाबत् किसी भी प्रकार से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने की अधिकारिता नहीं रही है, मिथ्या कथनों के आधार पर राजस्व वाद में न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपति आदेश पारित किया गया है जो कि विधि विरूद्ध होने से मान्नीय न्यायालय में निहित असीमित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अन्तर्गत धारा 225 राज0काश्तकारी अधिनियम के तहत् निरस्त किये जाने योग्य है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमाई जाकर उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ के द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.10.2014 निरस्त फरमाया जावें व पत्रावली अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान कर विधि द्वारा निर्धारित समयावधि में निर्णय किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने के आदेश न्यायहित में जारी फरमावें।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 05 के दौराने जवाब/बहस अपील में कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात रेस्पोडेन्ट के पिता चन्द्रा पुत्र प्रतान कहार निवासी सरवाड़ की खातेदारी की है तथा राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2006, 2019, 2023–26 में उक्त वर्णित आराजीयात रेस्पोडेन्टस के पिता के नाम दर्ज चली आ रही थी तथा स्वअर्जित थी तथा अपीलांटस का वादग्रस्त आराजी में किसी प्रकार का कोई वास्ता व सरोकार नही है लेकिन राजस्व अधिकारियों द्वारा भू–संशोधन के पश्चात वादग्रस्त आराजी में रेस्पोडेन्ट के पिता स्व.चन्द्रा के भाई स्व.मांगीलाल का नाम बतौर खातेदार दर्ज कर दिया गया था जो पूर्णतःगलत, अवैध व दुरूस्ती योग्य है। इसलिए वाद पत्र एवं वाद पत्र के साथ अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी बाबत् वाद बाहुल्यता नहीं बढ़े इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी का बेचान नहीं करने तथा राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनायी रखी जाने के आदेश पारित करने में किसी भी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं की है। अपीलांटस अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना जवाब प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया है तथा सीधे ही अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की है जो मान्नीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने रिवीजन /एल/ 9867 /2012

15.2.24
राजस्व अपील प्राधिकारी

/ नागौर उनवान जगदीश प्रसाद बनाम भोपाल राम व अन्य निर्णय दिनांक 12.03.2014 की पालना में चलने योग्य नहीं है। मान्नीय न्यायालय न्यायिक प्रक्रिया के तहत् प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निश्चित समयावधि के तहत् प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण करने हेतु प्रतिप्रेषित कर सकती है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट चलने योग्य नहीं होने से खारिज फरमायी जावें।

अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अपीलांट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ के आदेश दिनांक 29.10.2014 के विरूद्ध अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की हैं। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 29.10.2014 की आदेशिका में अंकित वादग्रस्त आराजी को आगामी आदेश तक बेचान नहीं करने तथा राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये है। अप्रार्थीगण/अपीलांटस ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया तथा ना ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार की चाराजोही की है, सीधे तौर पर यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है। मान्नीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने रिवीजन /एल/ 9867 /2012 / नागौर उनवान जगदीश प्रसाद बनाम भोपाल राम व अन्य निर्णय दिनांक 12.03.2014 की पालना में अन्तरिम स्थगन आदेश के लिए दिशा निर्देश जारी किये हैं तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया जाना हैं। हम न्यायहित में पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए एवं अनावश्यक वाद बाहुल्यता को रोकने एवं समुचित न्याय निर्णय के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का 30 दिवस में निस्तारण करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड को निर्देशित करना उचित समझते है। अतः अपील इसी स्तर पर निर्णित की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ को निर्देशित किया जाता है कि वह उनके समक्ष लम्बित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण दोनो पक्षों जवाब/ सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण 30 दिवस में आवश्यक रूप से करें। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ द्वारा प्रकरण संख्या 104/2014 में पारित आदेश दिनांक 29.10.2014 यथावत् रखा जाता है। अभिभाषक अपीलांटस एवं अभिभाषक रेस्पोडेन्टस को को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.02.2024 को उपस्थित होने हेतु पाबंद किया जाता है। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

15.2.24

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर।

अपील/टीए/ 2014/00078 /2014/जिला अजमेर

शंकरलाल पुत्र मोहन लाल जाति कहार निवासी सरवाड तहसील सरवाड जिला अजमेर।

......अपीलान्ट

बनाम

1– मोहनलाल पुत्र स्व0 चन्द्रा जाति कहार निवासी सरवाड तहसील सरवाड जिला अजमेर।

2– श्रीमती धापू पत्नी किशनलाल जाति कहार निवासी लक्ष्मी मौहल्ला तहसील व जिला अजमेर।

3– मोहनी पुत्री स्व0 चन्द्रा जाति कहार निवासी सरवाड हाल निवासी धूंधरी तहसील केकडी जिला अजमेर।

4– लालाराम पुत्र स्व0 चन्द्रा जाति कहार निवासी सरवाड तहसील सरवाड जिला अजमेर।

5– मिठूलाल पुत्र स्व0 चन्द्रा जाति कहार निवासी सरवाड तहसील सरवाड जिला अजमेर।

6– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील कार्यालय सरवाड जिला अजमेर।

7– श्रीमान उप पंजीयक महोदय, उप पंजीयक कार्यालय सरवाड जिला अजमेर।

...रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 29–10–14 जो की न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सरवाड जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 104/2014 बउनवानी "मोहनलाल बनाम शंकरलाल" में पारित किया गया।

मान्यवर,

अपीलान्ट की ओर से निम्नांकित निवेदन है:–

1– यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम एवं अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है।

2– यह है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सरवाड के समक्ष रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा एक राजस्व वाद बाबत् खातेदारी घोषणा एंव स्थाई निषेधाज्ञा हेतु विवादित आराजीयात खसरा संख्या 3177, 3184, 3186, 3196, 3198 कुल किता 5 रकबा 13 बीघा वाके ग्राम सरवाड तहसील सरवाड जिला अजमेर एवं खसरा सं0 3530, 3534 किता 2 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम जगपुरा तहसील सरवाड जिला अजमेर हेतु प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात राजस्व अभिलेख मे वादी के पिता चन्द्रा पुत्र प्रताप की एकमात्र खातेदारी की आराजीयात है